न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम., शामली।

सत्र परीक्षण संख्याः–399 सन 2026

राज्य बनाम इमरान व एक अन्य।

मु0 अ 0 सं0–628/2025

धाराः– 105, 115(2), 352 बी.एऩ.एस.,

थानाः–कोतवाली शामली, जिला शामली,

<u>आरोप</u>

मैं **सुरेन्द्र कुमार राय**, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम.,शामली एतत्द्वारा आप अभियुक्तगण **इमरान एवं नवाब पुत्रगण हफीजू** को निम्न लिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

1– यह कि दिनांक 18.11.2025 को समय 7.00 बजे सुबह बहद स्थान ग्राम लिलौन अभियुक्त का घर अंतर्गत थाना कोतवाली शामली, जिला शामली में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा वकीलू व उसकी पुत्री रूबीना व वादी के पुत्रों व पत्नी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **बी.एन.एस. की धारा 115(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने वादी पक्ष उपरोक्त को साशय अपमानित करने के आशय से उसके साथ गाली–गलौच किया। इस प्रकार आपने **बी.एन.एस. की धारा 352** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने मिलकर वादी मुकदमा की पत्नी रूकसाना को मकान की ऊपर मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे उसे गम्भीर चोट आयी और अस्पताल जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का आपराध कारित किया, जो **धारा–105 बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक :26.05.2026 **(सुरेन्द्र कुमार राय)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,

एस०सी०/एस०टी०एक्ट, शामली।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की ।

दिनांक :26.05.2026 **(सुरेन्द्र कुमार राय)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,

एस०सी०/एस०टी०एक्ट, शामली।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम., शामली।

सत्र परीक्षण संख्याः–399 सन 2026

राज्य बनाम इमरान व एक अन्य।

मु0 अ 0 सं0–628/2025

धाराः– 105, 115(2), 352 बी.एन.एस.,

थानाः–कोतवाली शामली, जिला शामली,

दिनांक 26.05.2026–

आदेश

सत्र परीक्षण पेश हुआ। पुकार पर अभियुक्तगण **इमरान एवं नवाब पुत्रगण हफीजू** जेल से उपस्थित। अभियुक्तगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

आरोप के प्रश्न पर अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रलेखों का परिशीलन किया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण को आरोपित किये जाने हेतु पत्रावली एवं केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जबकि अभियोजन द्वारा तर्क पस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिनके आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित किये जाने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व प्रथम दष्टया धारा 105, 115(2), 352 बी.एन.एस, का आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है।

अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व धारा 105, 115(2), 352 बी.एन.एस, का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर अभियुक्तगण ने अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 09.06.2026 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये समन नियत तिथि हेतु तलब हो ।

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधि०.,शामली।